Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 39-2026/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 13, 2026 (PHALGUNA 22, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

उद्योग तथा वाणिज्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 मार्च, 2026

संख्या 23/04/2025–4उ0शा0-1.– अपर्णा संस्था (प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 15 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

1. (1) ये नियम अपर्णा संस्था (प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण) नियम, 2026 कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, अपर्णा संस्था (प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 2025 (2025 का 24);

(ख) ''सदस्य'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित समिति का सदस्य तथा इसमें इसका अध्यक्ष भी शामिल है।

(2) इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

प्रशासक की नियुक्ति की रीति। धारा 5 (1)

3. सरकार, हरियाणा संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले या हरियाणा सिविल सेवा (एच.सी.एस.) कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगी।

समिति का गठन। धारा 6

4. समिति चार सदस्यों से मिलकर बनेगी। समिति के सदस्य कम से कम एक वर्ष का अनुभव रखने वाले वर्ग–क या कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले वर्ग–ख सेवा में से नियुक्त किए जाएंगे।

5. (1) संस्था इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक बैंक खाता खोलेगी। राशि का उपयोग। धारा 8(xiv)

(2) अनुदान, उपहार, दान के माध्यम से संस्था को प्राप्त सभी राशियां राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाएंगी।

(3) राशि का उपयोग संस्था के व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाएगा, जिसमें इसकी शक्तियों के प्रयोग तथा इसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में हुए व्यय भी शामिल होंगे।

(4) संस्था, राशि यदि कोई हो, को राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में निवेश कर सकती है।

अमित कुमार अग्रवाल,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT

Notification

The 13th March, 2026

No. 23/04/2025-4IB-1.— In exercise of the powers conferred under section 15 of the Aparna Institution (Taking Over of Management and Control) Act, 2025 (24 of 2025), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:-

1. (1) These rules may be called the Aparna Institution (Taking Over of Management and Control) Rules, 2026. Short title and commencement.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in Official Gazette.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,- Definitions.

(a) "Act" means Aparna Institution (Taking Over of Management and Control) Act, 2025 (24 of 2025);

(b) "member" means member of the committee constituted under section 6 of the Act and includes its Chairperson.

(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. The Government shall appoint an administrator from amongst the officers from Indian Administrative Service (IAS) of Haryana cadre having at least two years experience or amongst the Haryana Civil Service (HCS) having at least five years experience. Manner of Appointment of Administrator. Section 5 (1)

4. The committee shall consist of four members. The members of the committee shall be appointed from amongst Group-A service having at least one year experience or from Group-B having at least two years experience. Constitution of Committee. Section 6

5. (1) An institution shall open a Bank Account for the purposes of this Act with a Nationalized Bank. Utilization of amount. Section 8(xiv)

(2) All amounts received by the Institution by way of grant, gifts, donations shall be deposited in a Nationalized Bank.

(3) The amount shall be utilized towards meeting the expenses of the Institution including expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its functions.

(4) An Institution may invest the amount, if any, in form of fixed deposit with the Nationalized Bank.

AMIT KUMAR AGRAWAL,
Commissioner & Secretary to Government Haryana,
Industries and Commerce, Department.

12492—C.S.—H.G.P., Pkl.